यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

संबद्ध पक्षकार लेन-देन नीति 2023-24

निवेशक सेवाएं प्रभाग, बोर्ड सचिवालय
239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

विषयसूची

पैरा नं.	खंड	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	1
2.	उद्देश्य	1
3.	प्रयोज्यता	1
4.	परिभाषाएं	1
5.	नीति	5
5.1	कवर किए जाने वाले लेन-देन के प्रकार	5
5.2	संबद्ध पक्षकार की पहचान	6
5.3	संभावित संबद्ध पक्षकार लेनदेन की पहचान	7
5.4	संबद्ध पक्षकार लेनदेन की निगरानी के लिए प्रक्रिया	7
5.5	कुछ संबद्ध पक्षकार लेनदेन और महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार लेनदेन के लिए अनुमोदन	7
5.6	लेखापरीक्षा समिति के परिपत्र संकल्प द्वारा अनुमोदन	10
5.7	व्यापार के सामान्य क्रम में और स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर लेनदेन के संबंध में निर्णय	10
6.	गोपनीयता प्रावधान	10
7.	नीति के अंतर्गत बिना पूर्व अनुमोदन के संबद्ध पक्षकार लेनदेन	1 1
8.	नीति की समीक्षा	1 1
9.	प्रकटीकरण	12
	संदर्भ	13
अनुलग्नक - I	लेखा मानक और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की परिभाषा	14
अनुलग्नक - II	निदेशकों और केएमपी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली संबद्ध पक्षकार की सूची	16
अनुलग्नक - III	संबद्ध पक्षकार लेनदेन के अनुमोदन की प्रक्रिया	17
अनुलग्नक - IV	एसीबी से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने का प्रारूप	18
अनुलग्नक - V	सर्वग्राही अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एसीबी को प्रस्तुत किया जाने वाला प्रारूप	20
अनुलग्नक-VI	महत्वपूर्ण आरपीटी पर विचार करने के लिए शेयरधारकों को प्रदान की जाने वाली सूचना	21

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
भारत सरकार का उपक्रम

Union Bank of India
A Government of India Undertaking

निवेशक सेवाएँ प्रभाग, बोर्ड सचिवालय

संबद्ध पक्षकार लेनदेन नीति 2023-24

1. प्रस्तावना

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (**"बैंक")** के निदेशक मंडल (**"बोर्ड")** ने एतद द्वारा परिभाषित संबद्ध पक्षकार लेनदेन के संबंध में इस नीति और इसकी प्रक्रियाओं को अपनाया है। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को समय-समय पर इस नीति की समीक्षा और संशोधन करने का अधिकार है।

यह नीति बैंक पर लागू कानूनों और दिशानिर्देशों के आधार पर बैंक और उसके संबद्ध पक्षकार के बीच लेनदेन को विनियमित करने के लिए तैयार की गई है।

2. उद्देश्य

इस नीति को सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 **("सूचीकरण विनियम")** की आवश्यकताओं के अनुपालन में तैयार किया गया है । इस नीति का उद्देश्य बैंक और उसके संबद्ध पक्षकार के बीच लेनदेन की उचित स्वीकृति और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है। ऐसे लेनदेन तभी उपयुक्त होंगे जब वे बैंक और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में हों।

3. प्रयोज्यता:

यह नीति निम्नलिखित के साथ किए गए सभी लेनदेन पर लागू होगी:

(a) निदेशक मंडल और उनके रिश्तेदार;
(b) बैंक और उनके रिश्तेदारों के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक **("केएमपी");** तथा
(c) संबद्ध पक्षकार जैसा कि इसके बाद परिभाषित किया गया है।

4. परिभाषाएं

4.1. **"वार्षिक समेकित टर्नओवर"** को बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वार्षिक समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक की कुल आय (अर्थात अर्जित ब्याज और अन्य आय) के रूप में परिभाषित किया गया है।

4.2. **"लेखापरीक्षा समिति" या "समिति"** का अर्थ, सूचीकरण विनियमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के तहत और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसरण में गठित बैंक के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति है ।

4.3. **"आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन"** का अर्थ**,** कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित लेन-देन अर्थात दो संबद्ध पक्षकार के बीच के लेनदेन से है जो इस प्रकार आयोजित किया जाता है जैसे वे असंबंधित थे, जिससे उनके हितों का कोई टकराव न हो।

4.4. **"बोर्ड"** का अर्थ**,** बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) के अनुसार गठित बैंक के निदेशक मंडल से है ।

4.5. **"सरकारी कंपनी"** का अर्थ ऐसी किसी कंपनी से है जिसमें कम से कम इक्यावन प्रतिशत प्रदत शेयर पूंजी केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकार, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार के पास है और इसमें ऐसी कंपनी शामिल है जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है**;**

4.6. **"प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक" या "केएमपी" का अर्थ है**

(i) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक;
(ii) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के तहत नियुक्त कार्यपालक निदेशक(कों) / पूर्णकालिक निदेशक(कों);
(iii) कंपनी सचिव;
(iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी;
(v) मुख्य अनुपालन अधिकारी;
(vi) बोर्ड सचिव और
(vii) ऐसे अन्य अधिकारी/अधिकारियों जैसा निर्दिष्ट किया जाए;

4.7. **"महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार लेनदेन"** का अर्थ संबद्ध पक्षकार के साथ किए जाने वाले लेनदेन से है जिसमें लेनदेन(लेनदेनों) को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाना है या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ मिलकर एक हजार करोड़ रुपए या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक है ।

ब्रांड के उपयोग या रॉयल्टी के संबंध में संबद्ध पक्षकार को किए गए भुगतान से जुड़े लेनदेन को महत्वपूर्ण माना जाएगा यदि व्यक्तिगत रूप से दर्ज किए गए लेनदेन(लेनदेनों) को या वित्तीय वर्ष के दौरान पिछले लेनदेन के साथ लिया गया लेनदेन, बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के **वार्षिक समेकित कारोबार के पांच प्रतिशत से अधिक हो।**

4.8. **"नीति" का अर्थ संबद्ध पक्षकार लेनदेन नीति से है।**

4.9. "रिश्तेदार" का अर्थ और इसमें निम्न तथा इनसे संबंधित शामिल है, यदि,

(i) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं;
(ii) वे पति और पत्नी हैं;
(iii) पिता (सौतेले पिता सहित);
(iv) माँ (सौतेली माँ सहित);
(v) पुत्र (सौतेला पुत्र सहित);
(vi) बेटे की पत्नी;
(vii) बेटी (सौतेली बेटी सहित);
(viii) बेटी का पति;
(ix) भाई (सौतेला भाई सहित);
(x) बहन (सौतेली बहन सहित)।

4.10. **"संबद्ध पक्षकार (रों)"** - बैंक के संदर्भ में " **संबद्ध पक्षकार** ", का अर्थ है-

i. कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जो -
(ए) बैंक की होल्डिंग, समनुषंगी या सहयोगी कंपनी है; या
(बी) एक होल्डिंग कंपनी की समनुषंगी जिसकी बैंक एक सहायक कंपनी भी है; या
(सी) एक निवेश कंपनी या बैंक के उद्यमकर्ता;
ii. निदेशक या उसके रिश्तेदार;
iii. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार;
iv. उद्यम जिन पर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके रिश्तेदार महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम हैं
v. फर्म, जिसमें बैंक का निदेशक या उसका रिश्तेदार भागीदार है;
vi. निजी कंपनी जिसमें बैंक का निदेशक या उसका रिश्तेदार सदस्य या निदेशक है;
vii. सार्वजनिक कंपनी जिसमें बैंक का निदेशक, ही निदेशक है और अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी प्रदत शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक रखता है;
viii. कॉरपोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक, या प्रबंधक, बैंक के निदेशक की सलाह, निर्देश या निर्देशों के अनुसार कार्य करने का आदी है;
ix. कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निदेश या निर्देश के तहत निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का आदी है; बशर्ते कि उप-खंड (viii) और (ix) में कुछ भी पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निदेशों या निर्देशों पर लागू नहीं होगा;
x. बैंक के प्रमोटर या प्रमोटर समूह से संबंधित कोई भी व्यक्ति या संस्था।
xi. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के तहत बैंक में प्रत्यक्ष या लाभकारी ब्याज के आधार पर, किसी भी समय, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान दस प्रतिशत या अधिक इक्विटी शेयर धारण करने वाला कोई व्यक्ति या कोई संस्था

नोट: "संबद्ध पक्षकार (रों)" की उपर्युक्त वर्णित परिभाषा, बैंक की सहायक कंपनियों (सूचीबद्ध / गैर-सूचीबद्ध) के संबद्ध पक्षकार को निर्धारित करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी *और* "बैंक" शब्द, जहां भी परिभाषा में दिखाई दे रहा है, उसे "सहायक" के रूप में माना जाएगा ।

4.11. **"संबद्ध पक्षकार लेनदेन" या "आरपीटी"** का अर्थ उस लेन-देन से है, जिसमें संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों का हस्तांतरण शामिल है:

(i) एक ओर बैंक या उसकी कोई समनुषंगी और दूसरी ओर बैंक या उसकी किसी सहायक कंपनी की संबद्ध पक्षकार ; या

(ii) एक ओर बैंक या उसकी कोई सहायक कंपनी, और दूसरी ओर कोई अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसका उद्देश्य और प्रभाव, 1 अप्रैल, 2023 से बैंक या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबद्ध पक्षकार को लाभान्वित करना है। ;

इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या कोई कीमत ली जाती है और संबद्ध पक्षकार के साथ "लेन-देन" को अनुबंध में एकल लेनदेन या लेनदेन के समूह को शामिल करने के लिए माना जाएगा:

बशर्ते कि निम्नलिखित एक संबद्ध पक्षकार लेनदेन नहीं होंगे:

(a) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन अधिमानी आधार पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों का निर्गम;

(b) बैंक द्वारा निम्नलिखित कॉर्पोरेट कार्रवाइयां जो सभी शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में समान रूप से लागू/प्रस्तावित की जाती हैं:

i. लाभांश का भुगतान;
ii. प्रतिभूतियों का उप-विभाजन या समेकन;
iii. राइट्स इश्यू या बोनस इश्यू के जरिए सिक्योरिटीज जारी करना; तथा
iv. प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद।

(c) सभी शेयरधारकों/जनता के लिए समान रूप से लागू/प्रस्तावित शर्तों पर बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के सेबी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में हर छह महीने में स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को इसके प्रकटीकरण के साथ-साथ संबद्ध पक्षकार लेनदेन प्रकटीकरण के अधीन सावधि जमा की स्वीकृति:

बशर्ते यह भी कि यह परिभाषा म्युचुअल फंड द्वारा जारी इकाइयों, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, के लिए लागू नहीं होगी ।

4.12. **"महत्वपूर्ण प्रभाव"** का अर्थ किसी उद्यम के वित्तीय और/या संचालन नीति निर्णयों में भागीदारी है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण नहीं है। आम तौर पर, यदि किसी निवेश पक्ष के पास उद्यम की वोटिंग शक्ति का 20% या अधिक है, तो यह माना जाता है कि निवेश करने वाले पक्ष का उस उद्यम पर महत्वपूर्ण प्रभाव है ।

यहां परिभाषित नहीं किए गए किसी भी अन्य शब्द का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग विनियम, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 या किसी अन्य लागू कानून या विनियम में परिभाषित है।

4.13 "**महत्वपूर्ण आशोधन**": संबद्ध पक्षकार लेनदेन में आशोधन महत्वपूर्ण माना जाएगा जहां मूल्य शामिल है या किसी घटना का प्रभाव अधिक है -

अंतिम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक की कुल आय का 2%

या

अंतिम लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के निवल मूल्य का 5%

जो भी कम हो।

5. नीति

बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के अंतर्गत आने वाले सभी संबद्ध पक्षकार लेनदेनों को इस नीति के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होनी चाहिए। सभी महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार लेनदेन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

5.1. कवर किए जाने वाले लेन-देन के प्रकार :

लागू कानूनों के अनुसार, **बैंक और उसकी समनुषंगियों के लिए** इस नीति के तहत निम्नलिखित लेनदेन शामिल होंगे :

(A) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार:

(i) किसी भी सामान या सामग्री की बिक्री, खरीद या आपूर्ति;
(ii) किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना या अन्यथा निपटाना या खरीदना;
(iii) किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना;
(iv) किसी भी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना;
(v) माल, सामग्री, सेवाओं या संपत्ति आदि की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति।
(vi) बैंक, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी भी कार्यालय या लाभ के स्थान पर ऐसी संबद्ध पक्षकार की नियुक्ति;
(vii) बैंक की किसी प्रतिभूति या उनके डेरिवेटिव्स की सदस्यता की हामीदारी करना।

(B) लिस्टिंग विनियमों के अनुसार:

बैंक और एक संबद्ध पक्षकार के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों का स्थानांतरण, मूल्य प्रभारित किए जाने के बावजूद और संबद्ध पक्षकार के साथ "लेन-देन" को एक अनुबंध में एकल लेनदेन या लेनदेन के समूह को शामिल करने के लिए माना जाएगा।

(C) वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार - लेखांकन पर नोट्स (लेखाकंन मानक 18):

(i) उधारी
(ii) जमा
(iii) जमा का स्थानन
(iv) अग्रिमों
(v) निवेश
(vi) गैर-वित्त पोषित प्रतिबद्धताएं
(vii) लीजिंग/एचपी व्यवस्था का लिया गया लाभ
(viii) लीजिंग/एचपी व्यवस्था प्रदान की गई
(ix) अचल संपत्तियों की खरीद
(x) अचल संपत्तियों की बिक्री
(xi) भुगतान किया गया ब्याज
(xii) प्राप्त ब्याज
(xiii) सेवाओं का प्रतिपादन
(xiv) सेवाओं की प्राप्ति
(xv) प्रबंधन अनुबंध

5.2. संबद्ध पक्षकार की पहचान

निदेशकों और केएमपी को निदेशक/केएमपी के रूप में उनकी नियुक्ति/तैनाती और उसके बाद उनके द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्षकारों के प्रारंभिक प्रकटीकरण में किसी भी बदलाव पर संबंधित पक्षकारों की बोर्ड सचिवालय सूची **(अनुलग्नक- II)** को तुरंत सूचित करने के लिए अनिवार्य है।

बोर्ड सचिवालय संबंधित पक्षकारों का एक डेटाबेस बनाए रखेगा जिसमें संबद्ध पक्षकार की परिभाषा और निदेशकों और केएमपी द्वारा प्रदान की गई घोषणाओं के आधार पर पहचाने गए व्यक्तियों और कंपनियों के नाम होंगे, जिसमें उनमें कोई संशोधन भी शामिल होगा। संबद्ध पक्षकार की सूची क्षेत्र के पदाधिकारियों की जानकारी के लिए बैंक के इंट्रानेट यूबीनेट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ("**डीआईटी**") संबद्ध पक्षकार लेनदेन की रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक प्रणाली विकसित करेगा।

5.3. संभावित संबद्ध पक्षकार लेनदेन की पहचान

प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, बोर्ड या लेखा परीक्षा समिति को किसी भी संभावित संबद्ध पक्षकार लेनदेन के बारे में नोटिस प्रदान करने के जिम्मेदार है, जिसमें उसके या उसके रिश्तेदार शामिल हैं, जिसमें लेनदेन के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी शामिल है जिसका बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति उचित रूप से अनुरोध कर सकती है।

ऐसे किसी भी संभावित संबद्ध पक्षकार लेन-देन की सूचना बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति को पहले से दी जानी चाहिए जिससे लेखापरीक्षा समिति के पास प्रस्तावित लेनदेन के बारे में जानकारी प्राप्त करने और समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय हो।

लेखापरीक्षा समिति यह निर्धारित करेगी कि क्या लेनदेन, वास्तव में, इस नीति के अनुपालन की आवश्यकता वाले एक संबद्ध पक्षकार लेनदेन का गठन करता है।

संबद्ध पक्षकार के साथ लेनदेन करने से पहले सभी शाखाएं/कार्यालय **अनुबंध-III** में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का पूर्वानुमोदन लेने की प्रक्रिया का पालन करेंगे**।**

5.4. संबद्ध पक्षकार लेनदेन की निगरानी के लिए प्रक्रिया

सभी शाखा प्रमुखों/कार्यालय प्रभारी/क्षेत्र प्रमुखों को सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि इस नीति के अनुसार आरपीटी दर्ज किए गए हैं। यदि कोई गैर-अनुपालन पाया जाता है, तो बोर्ड सचिवालय द्वारा लेखापरीक्षा समिति को सूचित किया जाना चाहिए।

5.5. संबद्ध पक्षकार लेनदेन और सामग्री संबद्ध पक्षकार लेनदेन के लिए अनुमोदन

5.5.1 इस नीति के अनुसार पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सभी प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार लेनदेन और बाद के भौतिक संशोधनों को बैंक की लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया जाना चाहिए। इस संबंध में लेखापरीक्षा समिति का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रदान की जाने वाली जानकारी **अनुबंध-IV** में निर्धारित है । हालांकि, लेखापरीक्षा समिति बैंक और संबंधित पक्षकारों के बीच प्रस्तावित संबद्ध पक्षकार लेनदेन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान कर सकती है।

बशर्ते कि लेखापरीक्षा समिति के केवल वे सदस्य, जो स्वतंत्र निदेशक हैं, संबद्ध पक्षकार लेनदेन को मंजूरी देंगे।
बशर्ते आगे कि लेखापरीक्षा समिति वार्षिक आधार पर दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक) या आवर्ती आरपीटी की स्थिति की समीक्षा भी करेगी।

5.5.2 **बैंक की सहायक कंपनियों से संबद्ध पक्षकार लेनदेन** :

a. एक संबद्ध पक्षकार लेनदेन जिसमें बैंक की सहायक कंपनी एक पक्षकार है परंतु बैंक पक्षकार नहीं है, यदि इस तरह के लेनदेन का मूल्य व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया गया हो या पिछले लेनदेन के साथ एक साथ लिया गया हो, जिसमें ऐसे सहायक कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष वार्षिक समेकित कारोबार के दस प्रतिशत से अधिक है, तो उसमें बैंक की लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।

b. संबद्ध पक्षकार लेनदेन जिसमें बैंक की सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पक्षकार है, परंतु बैंक पक्षकार नहीं है, यदि विनियम 23 और विनियम 15 के उप-विनियम (2) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, जैसा कि संशोधित किया गया है, बैंक की ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी पर लागू होते हैं, के लिए बैंक की लेखा परीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी ।

c. जैसा कि ऊपर (सी) में उल्लेख किया गया है, बैंक की सूचीबद्ध सहायक कंपनी की असूचीबद्ध सहायक कंपनियों के संबद्ध पक्षकार लेनदेन के लिए, बैंक की सूचीबद्ध सहायक कंपनी की लेखापरीक्षा समिति का पूर्वानुमोदन पर्याप्त होगा।

5.5.3 **सर्वग्राही अनुमोदन –** पुनरावृति प्रकार के आरपीटी के मामले में, आरपीटी का विवरण लेखापरीक्षा समिति को उसके सर्वग्राही अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अनुलग्नक-V में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखा परीक्षा समिति सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान करने के लिए मानदंड निर्धारित कर सकती है और ऐसा अनुमोदन उन लेनदेनों के संबंध में लागू होगा जो पुनरावृति प्रकार के हैं। लेखापरीक्षा समिति स्वयं ऐसे सर्वग्राही अनुमोदन की आवश्यकता को पूरा करेगी और यह साथ ही यह भी देखेगी कि ऐसा अनुमोदन बैंक के हित में है।

सर्वग्राही अनुमोदन, जहां तक संभव हो, निर्दिष्ट करेगा:-

(a) संबद्ध पक्षकार के नाम;
(b) लेनदेन की प्रकृति/ऐसे लेनदेन की श्रेणियां;
(c) लेनदेन/संविदा/व्यवस्था की अवधि;
(d) अधिकतम मूल्य जिसके लिए ऐसा लेनदेन संचयी रूप से किया जा सकता है;
(e) वाणिज्यिक विचार पर मार्गदर्शन; तथा
(f) कोई अन्य शर्तें जो लेखा परीक्षा समिति उपयुक्त समझती हैं।

यदि संबद्ध पक्षकार लेनदेन की आवश्यकता का अनुमान नहीं लगा सकता है और उपरोक्त विवरण उपलब्ध नहीं हैं, तो लेखापरीक्षा समिति ऐसे आरपीटी के लिए सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि उनका मूल्य रु. 1 करोड़ प्रति लेनदेन से अधिक न हो।

इस प्रकार प्राप्त सर्वग्राही अनुमोदन को संबंधित/वर्गीकृत आरपीटी के लिए पूर्व अनुमोदन माना जाएगा। यह समान प्रकृति के ऐसे दोहराव वाले आरपीटी के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता/आवश्यकता को समाप्त कर देगा। हालांकि, ऐसे आरपीटी का मूल्यांकन स्वतंत्र संव्यवहार और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के औचित्य के लिए किया जाता रहेगा। इस प्रकार प्राप्त सर्वग्राही अनुमोदन एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगा। उक्त अवधि/अवधि की समाप्ति पर, वर्गीकृत आरपीटी के लिए नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

तिमाही आधार पर, बोर्ड सचिवालय उन सभी आरपीटी की समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा समिति के समक्ष एजेंडा रखेगा जिसके लिए लेखा परीक्षा समिति ने सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान किया है।

5.5.4 इसके अलावा, बैंक की लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित सभी महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार लेनदेन और बाद के महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी और कोई भी संबद्ध पक्षकार ऐसे प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेगा यदपि संबद्ध पक्षकार विशेष लेनदेन का पक्षकार में शामिल हो या न हो।
किसी भी प्रस्तावित आरपीटी के लिए अनुमोदन की मांग करने वाले शेयरधारकों को नोटिस भेजा जा रहा है, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकताओं के अलावा, व्याख्यात्मक विवरण के एक भाग के रूप में अनुबंध VI में दी गई जानकारी शामिल होगी।

बशर्ते कि संबद्ध पक्षकार लेनदेन के लिए बैंक के शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें सूचीबद्ध सहायक एक पार्टी है, लेकिन बैंक एक पार्टी नहीं है, यदि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, यथा संशोधित, के विनियम 23 और विनियम15 के उप-विनियम (2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक कंपनियों पर लागू होते हैं।

स्पष्टीकरण: जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सूचीबद्ध सहायक कंपनी की असूचीबद्ध सहायक कंपनियों के संबद्ध पक्षकार लेनदेन के लिए, सूचीबद्ध सहायक कंपनी के शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन पर्याप्त होगा।

बशर्ते कि उपरोक्त 5.5.4 के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताएं दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 31 के तहत समाधान योजना को एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को घटना का प्रकटीकरण स्वीकृत के अधीन अनुमोदित समाधान योजना के संबंध में लागू नहीं होंगी;

निम्नलिखित मामलों में पैरा 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 और 5.5.4 के प्रावधान लागू नहीं होंगे -

(ए) दो सरकारी कंपनियों के बीच किए गए लेनदेन;

(बी)एक होल्डिंग कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किए गए लेनदेन जिनके खातों को बैंक के साथ समेकित किया गया है और अनुमोदन के लिए महासभा बैठक में शेयरधारकों के सामने रखा गया है।

(सी) सूचीबद्ध होल्डिंग कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच लेनदेन, जिनके खाते ऐसी होल्डिंग कंपनी के साथ समेकित होते हैं और अनुमोदन के लिए महासभा बैठक में शेयरधारकों के सामने रखे जाते हैं ।

5.6. लेखा परीक्षा समिति के परिपत्र संकल्प द्वारा अनुमोदन

यदि बोर्ड सचिवालय यह निर्धारित करता है कि संबद्ध पक्षकार लेनदेन में प्रवेश करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठक तक प्रतीक्षा करना अव्यावहारिक या अवांछनीय है, तो फिलहाल लागू वैधानिक प्रावधान के लिए इस तरह के लेनदेन को इस नीति के अनुसार परिपत्र संकल्प के माध्यम से लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है ।

5.7. व्यापार के सामान्य क्रम में और स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर लेनदेन के संबंध में निर्णय

लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड उनके समक्ष रखी गई सूचना/दस्तावेजों पर विचार करने के बाद अनुमोदन के लिए उन्हें संदर्भित आरपीटी के संबंध में; यह निर्णय लें कि क्या लेन-देन व्यवसाय के सामान्य क्रम में है या स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर है। लेखा परीक्षा समिति/बोर्ड लेन-देन की उपयुक्तता का विश्लेषण करने के लिए 'व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम' या 'स्वतंत्र संव्यवहार' के दृष्टिकोण से पेशेवरों/विशेषज्ञों (आवश्यकता के आधार पर) के विचार मांग सकता है।

6. गोपनीयता प्रावधान

लेखाकंन मानक 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, प्रकटीकरण आवश्यकताएं उन परिस्थितियों में लागू नहीं होती हैं, जब ऐसे प्रकटीकरण प्रदान करने से रिपोर्टिंग उद्यम की गोपनीयता के कर्तव्यों का उल्लंघन होगा, जैसा कि विशेष रूप से क़ानून के संदर्भ में, नियामक या समान सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक है। लेखाकंन मानक 18 के पैराग्राफ 6 के अनुसार, यदि कोई क़ानून या आरबीआई या सेबी बैंकों को कुछ ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण करने से रोकता है जिसे प्रकट करना आवश्यक है, तो ऐसी जानकारी का प्रकटीकरण न करने को आवश्यकताओं को लेखाकंन मानक 18 अनुपालन के रूप में नहीं माना जाएगा। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि ग्राहकों के विवरण की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बैंकों के न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सामान्य कानून कर्तव्य के कारण, उन्हें इस तरह के प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, जहां लेखांकन मानकों के तहत प्रकटीकरण संबद्ध पक्षकार की किसी भी श्रेणी के संबंध में समग्र प्रकटीकरण नहीं हैं, अर्थात, जहां संबद्ध पक्षकार की किसी भी श्रेणी में केवल एक

इकाई है, बैंकों को उस संबद्ध पक्षकार के साथ संबंध के अलावा अन्य पार्टी के साथ उस संबद्ध पक्षकार से संबंधित किसी भी विवरण का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

7. नीति के तहत पूर्व अनुमोदन के बिना संबद्ध पक्षकार लेनदेन

यदि बैंक को संबद्ध पक्षकार के साथ संबद्ध पक्षकार लेनदेन के बारे में पता चलता है जिसे इस नीति के तहत इसके समापन से पहले अनुमोदित नहीं किया गया है, तो मामले की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाएगी। समिति संबद्ध पक्षकार लेनदेन के संबंध में सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेगी और संबद्ध पक्षकार लेनदेन के अनुसमर्थन, संशोधन या समाप्ति सहित बैंक के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का मूल्यांकन करेगी। समिति इस नीति के तहत इस तरह के संबद्ध पक्षकार लेनदेन को समिति को रिपोर्ट करने में विफलता से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों की भी जांच करेगी, और ऐसी कोई भी कार्रवाई जो उचित समझेगी।

किसी भी मामले में, जहां समिति बिना अनुमोदन के शुरू किए गए संबद्ध पक्षकार लेनदेन की पुष्टि नहीं करने का निर्धारण करती है, तो समिति, जैसा उचित समझा जाता है, लेनदेन को तत्काल बंद करने या रद्द करने सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, अतिरिक्त कार्रवाई करने का निर्देश दे सकती है। लेखापरीक्षा समिति के पास इस नीति के तौर-तरीकों के अनुरूप संबद्ध पक्षकार लेनदेन की किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को संशोधित करने या माफ करने का भी अधिकार होगा।

यदि उपरोक्त संबद्ध पक्षकार लेनदेन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, तो एक बार लेखापरीक्षा समिति द्वारा इसकी पुष्टि हो जाने के बाद, इसे शेयरधारकों की महासभा बैठक में अनुसमर्थन के लिए रखा जाएगा।

8. नीति की समीक्षा

सूचीबद्धता विनियमों के मौजूदा प्रावधानों के आधार पर इस नीति को संशोधित किया गया है। सूचीबद्धता विनियमों या किसी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों में बाद में किसी भी बदलाव के मामले में, सूचीबद्धता विनियम या लागू कानून नीति पर प्रचलित होंगे और नीति के प्रावधानों को लागू कानून के अनुरूप बनाने के लिए उचित समय में संशोधित किया जाएगा।

किसी भी परिस्थिति में जहां इस नीति की शर्तें बैंक को नियंत्रित करने वाले किसी भी मौजूदा या नए अधिनियमित कानून, नियम, विनियम या मानक से भिन्न होती हैं, वहाँ कानून, नियम, विनियम या मानक इस नीति पर तब तक प्राथमिकता लेंगे जब तक कि यह नीति कानून, नियम, विनियम या मानक के अनुरूप बदल न जाए।

इस नीति की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की जाएगी, जब कभी भी कानून, नियम, विनियम या मानक में परिवर्तन के कारण नीति में कोई परिवर्तन शामिल किया जाना है या जैसा कि लेखापरीक्षा समिति द्वारा उचित समझा जा सकता है।

संबद्ध पक्षकारों लेनदेन की किसी भी समीक्षा के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति के पास इस नीति की किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को आशोधित करने या छूट प्रदान करने का अंतिम अधिकार है।

इस नीति के बारे में बैंक के सभी परिचालन कर्मचारियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाएगा। बोर्ड एसीबी की सिफारिश पर नीति को मंजूरी देगा।

9. प्रकटीकरण

(i) बैंक की वेबसाइट पर संबद्ध पक्षकार लेनदेन से निपटने की नीति का प्रकटीकरण किया जाएगा और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब लिंक प्रदान किया जाना चाहिए।

(ii) कॉरपोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट सहित संबद्ध पक्षकारों के साथ सभी भौतिक लेनदेन का विवरण स्टॉक एक्सचेंजों को त्रैमासिक रूप से प्रकट किया जाएगा।

(iii) छमाही के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के साथ सेबी द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में स्टॉक एक्सचेंजों को समेकित आधार पर संबद्ध पक्षकार लेनदेन का प्रकटीकरण किया जाएगा। इसे बैंक की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा।

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") ने 1 जुलाई 2015 के अपने मास्टर परिपत्र सं.डीबीआर.बीपी.बीसी सं.23/21.04.018/2015-16 के माध्यम से वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - लेखांकन पर टिप्पणियों पर वित्तीय विवरणों के लिए ' लेखांकन पर टिप्पणियां' में प्रकटीकरण के मामले में बैंकों को मार्गदर्शन हेतु विस्तृत जानकारी प्रदान की है। संबद्ध पक्षकार प्रकटीकरण से संबंधित लेखाकंन मानक 18 संबद्ध पक्षकार संबंधों और एक रिपोर्टिंग उद्यम और उसके संबद्ध पक्षकार के बीच लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए लागू होता है। सामान्य स्पष्टीकरण (जीसी) 2/2002 के एक भाग के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा अनुशंसित उदाहरण प्रकटीकरण प्रारूप को बैंकों के अनुरूप आरबीआई द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

तथापि, संबद्ध पक्षकार के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है, जो लेखाकंन मानक (एएस) 18 के पैरा 9 के अनुसार "राज्य नियंत्रित उद्यम" हैं। इसके अलावा, एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, बैंकर की प्रकृति में लेनदेन - ग्राहक संबंध प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदारों सहित प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

सन्दर्भ:

1. सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015
2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
3. कंपनी अधिनियम, 2013
4. सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2021/662 दिनांक 22.11.2021

अनुलग्नक - I

लेखाकंन मानक और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की परिभाषा

लेखाकंन मानक - 18

पैरा 3 :यह मानक केवल नीचे (ए) से (ई) में वर्णित संबद्ध पक्षकार संबंधों से संबंधित है:

(a) ऐसे उद्यम जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक या अधिक मध्यवर्ती संस्थाओं के माध्यम से रिपोर्टिंग उद्यम (इसमें होल्डिंग कंपनियां, समनुषंगी और सहयोगी समनुषंगी शामिल हैं) को नियंत्रित करते हैं या नियंत्रित होते हैं, या उनके साथ सामान्य नियंत्रण में हैं;

(b) रिपोर्टिंग उद्यम के सहयोगी और संयुक्त उद्यम और निवेश पक्ष या उद्यमकर्ता जिसके संबंध में रिपोर्टिंग उद्यम एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम है;

(c) रिपोर्टिंग उद्यम की वोटिंग शक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि रखने वाले व्यक्ति और ऐसे किसी भी व्यक्ति के रिश्तेदार जो उन्हें उद्यम पर नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव देता है;

(d) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और ऐसे कर्मियों के रिश्तेदार; तथा

(e) उद्यम जिन पर (सी) या (डी) में वर्णित कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम है। इसमें निदेशकों या रिपोर्टिंग उद्यम के प्रमुख शेयरधारकों के स्वामित्व वाले उद्यम और ऐसे उद्यम शामिल हैं जिनके पास रिपोर्टिंग उद्यम के साथ प्रमुख प्रबंधन का एक सदस्य है।

पैरा 10.1: संबद्ध पक्षकार-पक्षकारों को संबद्ध माना जाता है यदि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किसी भी समय एक पक्षकार में दूसरे पक्ष को नियंत्रित करने या वित्तीय और/या परिचालन निर्णय लेने में दूसरे पक्ष पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता होती है।

कंपनी अधिनियम, 2013

धारा 2(76) : एक कंपनी के संदर्भ में "संबद्ध पक्षकार ", का अर्थ है-

i. एक निदेशक या उसका रिश्तेदार;
ii. एक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी या उसका रिश्तेदार;
iii. एक फर्म, जिसमें बैंक का निदेशक या उसका रिश्तेदार भागीदार है;
iv. एक निजी कंपनी जिसमें बैंक का निदेशक या उसका रिश्तेदार सदस्य या निदेशक है;

v. एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें बैंक का निदेशक, सार्वजनिक कंपनी का एक निदेशक है और अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी प्रदत शेयर पूंजी का दो प्रतिशत से अधिक रखता है;

vi. कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक बैंक के निदेशक के सुझावों, निदेशों या निर्देशों के अनुसार कार्य करने का आदी है;

vii. कोई भी व्यक्ति जिसके सुझाव, निदेश या निर्देश के तहत एक निदेशक या प्रबंधक कार्य करने का आदी है; बशर्ते कि उप-खंड (vi) और (vii) में कुछ भी पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निर्देशों या निर्देशों पर लागू नहीं होगा;

viii. कोई भी निकाय कॉर्पोरेट जो है -

(ए) बैंक की सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी; या

(बी) एक होल्डिंग कंपनी की एक समनुषंगी जिसमें बैंक एक समनुषंगी भी है;

सी) एक निवेश कंपनी या उद्यमकर्ता जिसके बैंक में निवेश के परिणामस्वरूप बैंक कॉर्पोरेट निकाय की सहयोगी कंपनी बन जाएगा।

ix. बैंक या उसके रिश्तेदार की होल्डिंग कंपनी के निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी;

x. ऐसा अन्य व्यक्ति जैसा निर्धारित किया जाए।

अनुलग्नक - II

निदेशकों और केएमपी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली संबंधित पार्टियों की सूची

निदेशक/केएमपी का नाम: _____

पैन:

संबंध		नाम	पैन
एचयूएफ के सदस्य	:		
पति या पत्नी	:		
पिता (सौतेले पिता सहित)	:		
माँ (सौतेली माँ सहित)	:		
भाई (सौतेला भाई सहित)	:		
बहन (सौतेली बहन सहित)	:		
पुत्र (सौतेला पुत्र सहित)	:		
बेटे की पत्नी	:		
बेटी (सौतेली बेटी सहित)	:		
बेटी का पति	:		
फर्म जिसमें आप या आपके रिश्तेदार भागीदार हैं	:		
निजी कंपनी जिसमें आप या आपका रिश्तेदार सदस्य या निदेशक हैं	:		
सार्वजनिक कंपनी जिसमें आप एक निदेशक हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी प्रदत शेयर पूंजी का 2% से अधिक रखते हैं	:		
कोई भी कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक आपकी सलाह, निदेशों या निर्देशों के अनुसार कार्य करने का आदी है	:		
कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या निर्देश पर आप कार्य करने के आदी हैं	:		
उद्यम/कंपनियां जिनमें आपके और/या आपके रिश्तेदारों के पास 20% या अधिक मतदान शक्ति है	:		

दिनांक:

स्थान: **हस्ताक्षर**

अनुलग्नक - III

संबद्ध पक्षकार लेनदेन के अनुमोदन की मांग करने की प्रक्रिया

सभी संबद्ध पक्षकार लेनदेन और उनके महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए लेखापरीक्षा समिति से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सभी महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार लेनदेन और उनके भौतिक आशोधनों के लिए संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा समिति संबद्ध पक्षकार लेनदेन के लिए सर्वग्राही अनुमोदन प्रदान कर सकती है। बोर्ड सचिवालय एसीबी के सर्वग्राही अनुमोदन को बैंक के इंट्रानेट यूबीनेट पर सूचना परिपत्र के रूप में प्रसारित करेगा।

जब भी किसी संबद्ध पक्षकार के साथ किसी लेन-देन पर विचार किया जाता है, तो अनुरोध पर विचार करने वाली संबंधित शाखा/कार्यालय पुष्टि करेगा कि क्या लेनदेन बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के तहत कवर किया गया है। संबंधित पक्षों की सूची यूबीनेट पर होम पेज पर 'हमारे बारे में' टैब के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। संबद्ध पक्षकार लेनदेन जो बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के अंतर्गत आते हैं, उन्हें लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे लेनदेन के लिए केवल जानकारी बोर्ड सचिवालय को प्रस्तुत की जानी है।

संबद्ध पक्षकार लेनदेन जो लेखापरीक्षा समिति के बहुप्रयोजनीय अनुमोदन के अंतर्गत नहीं आते हैं, संबंधित शाखा/कार्यालय लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के लिए बोर्ड सचिवालय, केंद्रीय कार्यालय से संपर्क करेंगे ।

इसके बाद, बोर्ड सचिवालय बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) को अपनी अगली नियमित बैठक में या परिपत्र संकल्प द्वारा संबद्ध पक्षकार के साथ लेनदेन के लिए अपनी मंजूरी लेने के लिए एक नोट रखेगा, जैसा कि वह उचित समझ सकता है।

यदि एसीबी यह निर्धारित करता है कि एक संबद्ध पक्षकार लेनदेन को बोर्ड के सामने लाया जाना चाहिए, या यदि बोर्ड किसी भी मामले में ऐसे किसी मामले की समीक्षा करने का निर्णय लेता है या बोर्ड के लिए संबद्ध पक्षकार लेनदेन को मंजूरी देने के लिए किसी भी कानून के तहत अनिवार्य है, तो विचार निर्धारित किए गए हैं उपरोक्त बोर्ड की समीक्षा और मामले के अनुमोदन पर लागू होगा, ऐसे संशोधन के साथ जो परिस्थितियों में आवश्यक या उपयुक्त हो सकता है।

बोर्ड सचिवालय एसीबी/बोर्ड के निर्णय से संबंधित शाखा/कार्यालय/विभाग को सूचित करेगा।

अनुलग्नक - IV

संबद्ध पक्षकार लेनदेन के अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की जाने वाली जानकारी

ए. प्रस्तावित लेनदेन का प्रकार, महत्वपूर्ण शर्तें और विवरण;

बी. ऐसे लेनदेन पर लागू सामान्य नियम और शर्तें (बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार)

सी. सामान्य नियम और शर्तों में बदलाव का स्पष्टीकरण

डी. संबद्ध पक्षकार का नाम और बैंक या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसकी चिंता या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा) शामिल है;

ई. प्रस्तावित लेनदेन का कार्यकाल (विशेष कार्यकाल निर्दिष्ट किया जाएगा);

एफ़. प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य;

जी. तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, जो प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (और एक समनुषंगी को शामिल करने वाले आरपीटी के लिए, इस तरह के प्रतिशत की गणना एक स्टैंडअलोन आधार पर सहायक के वार्षिक कारोबार के आधार पर की जाती है और इसे अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाएगा);

एच. यदि लेन-देन किसी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या बैंक या उसकी समनुषंगी द्वारा दिए गए निवेश से संबंधित है:

i) प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में निधियों के स्रोत का विवरण;

ii) जहां ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता होती है,

- ऋणग्रस्तता की प्रकृति;

- कोष की लागत; तथा
- कार्यकाल;

iii) अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे सुरक्षित हों या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति; तथा

iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार इस तरह के फंड के अंतिम लाभार्थी द्वारा फंड का उपयोग किया जाएगा।

आई. आरपीटी सूचीबद्ध इकाई के हित में क्यों है इसका स्पष्टीकरण;

जे. मूल्यांकन या अन्य बाहरी पार्टी रिपोर्ट की एक प्रति, यदि ऐसी किसी रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है;

के. प्रति-पक्षकर के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है;

एल. कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है

अनुलग्नक - V

बहुप्रयोजनीय अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एसीबी को प्रस्तुत किया जाने वाला फॉर्म

संबद्ध पक्षकार का नाम	लेन-देन की प्रकृति/श्रेणी	लेन-देन/अनुबंध/व्यवस्था की अवधि@	लेन-देन का अधिकतम संचयी मूल्य#	वाणिज्यिक विचार पर मार्गदर्शन*	कोई अन्य शर्त जिसे एसीबी उचित समझे

@ उदाहरण: जमा और अग्रिम के मामले में - परिपक्वता और पुनर्भुगतान की अवधि की सीमा जिसके लिए यूनियन बैंक सामान्य रूप से जमा और अग्रिम स्वीकार करता है।

अधिकतम मूल्य जिसके लिए ऐसा लेनदेन संचयी रूप से किया जा सकता है।

* सांकेतिक आधार मूल्य/वर्तमान अनुबंधित मूल्य और मूल्य में परिवर्तन के लिए सूत्र यदि कोई हो।

अनुलग्नक - VI

महत्वपूर्ण आरपीटी पर विचार करने के लिए शेयरधारकों को प्रदान की जाने वाली सूचना

किसी भी प्रस्तावित महत्वपूर्ण आरपीटी के अनुमोदन की मांग करने वाले शेयरधारकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यकताओं के अतिरिक्त नोटिस भेजा जा रहा है, जिसमें व्याख्यात्मक विवरण के एक भाग के रूप में निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी:

ए. बैंक के प्रबंधन द्वारा अनुबंध IV में निर्दिष्ट अनुसार, लेखा परीक्षा समिति को प्रदान की गई जानकारी का सारांश;

बी. इस बात का स्पष्टीकरण कि प्रस्तावित लेनदेन बैंक के हित में क्यों है;

सी. जहां लेनदेन किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या सूचीबद्ध इकाई या उसकी समनुषंगी द्वारा दिए गए निवेश से संबंधित है, अनुबंध- IV के बिंदु एच के तहत निर्दिष्ट विवरण; (निधि के स्रोत और निधि की लागत का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता सूचीबद्ध बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू नहीं होगी।)

डी. यह बयान कि मूल्यांकन या अन्य बाहरी रिपोर्ट, यदि कोई हो, जिसपर बैंक द्वारा प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में भरोसा किया जाता है, उसे शेयरधारकों के पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा;

ई. प्रति-पक्षकार के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जो स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है;

एफ. अन्य कोई जानकारी जो प्रासंगिक हो.